



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

V-175
12/9/23


क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-5/2023/डी-1950

दिनांक 12.9.23

प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन आम सूचना


राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम-2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम-2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न भूखण्ड के आवेदक द्वारा अपनी सम्पत्ति का भू-उपयोग परिवर्तन करवाये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिनका विस्तृत विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट www.jda.urban.rajasthan.gov.in एवं जोन कार्यालय में देखा जा सकता है। इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति, संस्था आदि को कोई आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 15 दिवस में मय दस्तावेज सम्बन्धित उपायुक्त जोन कार्यालय अथवा सचिव, जविप्रा को प्रस्तुत करें।

क्र. सं.	जोन	आवेदक का नाम	भूखण्डधारी का नाम	भूखण्ड संख्या	पट्टा विलेख में वर्णित भू-उपयोग	योजना का नाम (गू.नि.स.स/ निजी खातेदारी योजना)	भूखण्ड क्षेत्रफल	मास्टर प्लान-2025/ जोनल विकास योजना अनुसार भू-उपयोग	उपयोग जिसके लिए आवेदन किया गया
1	05	श्री अभिनव अग्रवाल पुत्र श्री प्रेम कुमार अग्रवाल	श्री अभिनव अग्रवाल पुत्र श्री प्रेम कुमार अग्रवाल	1 व 2	आवारीय	श्री छत्रपति शिवाजी गृह निर्माण सहकारी रागिति की योजना शांति नगर	914.82 व. म.	व्यावसायिक	मिश्रित भू उपयोग हेतु


उपायुक्त जोन-5
जविप्रा, जयपुर।


प्रतिलिपि — निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- निदेशक (नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
- अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान), जविप्रा, जयपुर।
- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आम सूचना के लघुरूप का निम्नानुसार दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर समाचार पत्रों की प्रतियाँ इस कार्यालय को प्रेषित करें।


उपायुक्त जोन-5
जविप्रा, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - [+91-141-2563234] : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : 18250; फैक्स - +91-141-2574555




क्रमांक: जविभा/उप.1/जोन-7/2023/डी-1789

दिनांक 14/9/23

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे / अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	आवेदक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	ग.नि.स.स./वि.जी.खातेदारी/योजना/	योजना का नाम	शेरा, जिसके तहत आवेदन किया गया	दस्तावेज प्रस्तुत
1	श्री रविश श्री बाबूलाल रावल पुत्र श्री बाबूलाल गुप्ता	श्री बाबूलाल गार्कल बन्द गुप्ता पुत्र श्री गुप्ता	214	511.00 वर्ग म.	तोपखानादाश	नमी नगर विस्तार	लीजडॉक सहकारी समिति आवेदन, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं पंजीकृत डेक स्थान पत्र


उपायुक्त, जोन-7
जविभा, जयपुर।

प्रतिनिधि:- जनसम्पर्क अधिकारी, जविभा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सांठजनिक सूचना का प्रकाशन जविभा के अद्य पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावे।

उपायुक्त, जोन-7
जविभा, जयपुर।



उपायुक्त विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

दिनांक: 12/09/2023 / No. 67

पृष्ठ संख्या: 1/9

आम सूचना

जयपुर शहर के वन विभाग 2021 के वन अधिनियम 12 में सेवा आवेदन करने वाले आवेदकों को सूचना दी जाती है कि वे निम्नलिखित दिनांक से आवेदन कर सकते हैं।

आवेदक का नाम	पूरा आवेदन का प्रकार	क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	प्लानिंग / जयपुर का	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तावित दर
श्री. राजेश कुमार	खेती	258	नियमित	खेती के लिए आवेदन	प्रस्तावित दर

आवेदकों को सूचना दी जाती है कि वे निम्नलिखित दिनांक से आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों को सूचना दी जाती है कि वे निम्नलिखित दिनांक से आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों को सूचना दी जाती है कि वे निम्नलिखित दिनांक से आवेदन कर सकते हैं।

उपायुक्त जेन-12
जयपुर

संलग्निका

D 1862 दि. 29.8.23

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

29

क्र.क: LU2012/JDA/2023-24/102858

दिनांक


लोक सूचना

श्री MAHENDRA KUMAR AGARWAL पुत्र श्री INDER LAL AGARWAL जाति MAHAJAN निवासी 16 BHAGAT SINGH MARG, TILAK NAGAR, JANTA COLONY, JAIPUR-302004 ने इस कार्यालय में उल्लेखित भूमि का आवासीय / फार्म हाउस प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (व.मी.)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	सुशीलपुरा, जयपुर (जयपुर)	MAHENDRA KUMAR AGARWAL	326 / 325	2571	0.2571
					कुल 0.2571

इसलिये, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिनों के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (DDM)आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 29-8-23 को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी, जॉन-05
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102894

दिनांक: 14/09/2023


लोक सूचना

श्री M/S JAIPUR CERAMICS PRIVATE LIMITED DIRECTOR UDAI PARNAMI पुत्र श्री ASHOK PARNAMI जाति PANJABI निवासी S-16A, LAND MARK BUILDING MAHAVEER MARG C-SCHEME JAIPUR

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का इंफ्रास्ट्रक्चर व वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम वृहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	मोटू का बास, आमेर (जयपुर)	JAIPUR CERAMICS PRIVATE LIMITED	445	1700	0.17
2.	मोटू का बास, आमेर (जयपुर)	JAIPUR CERAMICS PRIVATE LIMITED	478	3900	0.39
3.	मोटू का बास, आमेर (जयपुर)	JAIPUR CERAMICS PRIVATE LIMITED	479	4100	0.41
4.	मोटू का बास, आमेर (जयपुर)	JAIPUR CERAMICS PRIVATE LIMITED	936/477	4100	0.41
5.	मोटू का बास, आमेर (जयपुर)	JAIPUR CERAMICS PRIVATE LIMITED	941/491	2100	0.21
6.	मोटू का बारा, आमेर (जयपुर)	JAIPUR CERAMICS PRIVATE LIMITED	944/492	50	0.005
7.	मोटू का बास, आमेर (जयपुर)	JAIPUR CERAMICS PRIVATE LIMITED	947/446	2600	0.26
8.	मोटू का बास, आमेर (जयपुर)	JAIPUR CERAMICS PRIVATE LIMITED	949/449	9200	0.92
9.	मोटू का बास, आमेर (जयपुर)	JAIPUR CERAMICS PRIVATE LIMITED	444	900	0.09
			कुल		2.865

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के



ग्रामिण विकास प्राधिकरण, जयपुर
प्राधिकृत अधिकारी जी-13

निर्माण पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी परामर्शिका
आईडी से लोग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आर्डिकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज
को उपलब्ध कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।
उपरोक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को
आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।
यह सूचना भरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 14-09-2023 को जारी की गयी।

जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

सचिव
[Handwritten Signature]

होगी। कृपया सूचित रहे।

प्रस्ताव की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयवाधि के पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं
उपरोक्त जॉन-11 के कार्यालय में 7 दिवस में मध्य समितितः संबंधित दरखास्तों को आपत्ति
कोई न्यायसिद्ध प्रकरण/स्वामन/वाद-विवाद/स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया
सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समिति भूमि बाबत यदि

क्षतिपूर्ति बंध पत्र जॉन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, सम्पत्तिसामग्री व
1982 की धारा 44 के तहत सम्पत्तिका करतें हुए राज्य सरकार की प्रचलित
पदावस्था, तहसील सामान्तर, जयपुर (राज.) द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम
ग्राम कर्पूरावाला, सामान्तर, जयपुर एवं श्रीमती मांगी देवी पत्नी श्री किशनलाल निवासी-ग्राम
भूमि के बदले खातेदार श्री, सुरेश पुत्र स्व. श्री किशनलाल, निवासी-कुमावती की हामी,
सामान्तर के खसरा नम्बर 717 रकबा 0.8300 हेक्टर, कुल कितना 1 कुल रकबा 0.8300 हेक्टर,
भूमि राजस्व ग्राम पदावस्था, पटवार हल्का पदावस्था, भूआमि. नि. क्षेत्र मुहाना, तहसील
जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 60 मीटर चौड़ी सड़क सेक्टर रोड में आ रही

साधनिक नीति

कमांक: (जविगा/जॉन-11/सेक्टर रोड/2023/डी-2603 दिनांक: 14/09/23





जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in


क्रमांक- जविप्रा/जोन-14/2023/डी-2297

दिनांक 14/9/23

सार्वजनिक नोटिस

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 200 फीट चौड़ी (डिग्गी रोड से रोहिणी नगर होते हुये टॉक रोड को जोडने वाली) सेक्टर सडक व व्यावसायिक पट्टी में आ रही भूमि ग्राम रेनवाल तहसील माधोराजपुरा के ख.न. 3120/2 रकबा 1.0116 हैक्ट. में से 3883.67 व.मी. में खातेदार कैलाश, चिरंजीलाल, रामकुमार पुत्रान् नानूराम उर्फ नानूडा एंव नाथूराम, बाबूलाल, रामदयाल, रामफूल उर्फ फुलाराम पुत्रान् रामचन्द्र द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।


सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन/वाद विवाद/स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया जोन 14 कार्यालय में 7 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात् आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।


सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपि:-

1. जन सम्पर्क (अधिकारी) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
2. रक्षित पत्रावली


स्वास्थ्य एवं प्रशासनिक अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

कायालय माहिक्ट अहिकारी जॉन-13
 जयपुर विकास माहिकरण, जयपुर

क्रमांक: L/J2012/JDN/2023-24/102879

दिनांक: 11/09/2023

लोक सूचना

श्री SUMEET SINGH पुत्र श्री HARMET SINGH ठालि RAMDASIVA निवासी B-3/9 SAFDARGANJ ENCLAVE, SOUTH WEST DELHI, DELHI
 1. इस कायालय में नीचे उल्लिखित ग्राम का पट्टन कुकाई प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी ग्राम के अर्पण अधिवलि अहिकारी के निवाहन के लिए आवदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खतिदर का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)	अवशाल आक्षर (जयपुर)	SUMEET SINGH S/O HARMET SINGH	6515	12700	1.27
1										1.27

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित अधिकार को स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान में राजस्थान अधिनियम, 1953 की धारा 90-क और राजस्थान अधिवलि अहिकारी, 1955 की धारा 63 के अधिन पत्रिका प्रयोजन के लिए ग्राम के उपयोग हेतु अर्जा प्रदान करने और अधिवलि अहिकारी के निवाहन पर कोई आक्षर है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर अपनी एसएसओ आइडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आइकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को उपलब्ध कर अपना आक्षर दर्ज कर सकते हैं।

उपरोक्त निदम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षर के अभाव में यह समझा जाएगा कि किसी को आक्षर नहीं है और तदनुसार मानने का निपटारा किया जाएगा।

यह सूचना मेरे दस्तावेज और मुहर के अधीन आज 11-09-2023 को जारी की गयी

माहिक्ट अहिकारी जॉन-13
 जयपुर विकास माहिकरण, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक-जविआ/उपा./जान-14/2022/डी-2296

दिनांक 14/09/2023

सांख्यिक नोटिस

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 100 फीट चौड़ी जंगल प्लान राजक में आ रही थी। राजस्थान ग्राम सामूहिक पंचायत के अधीन के खसरा नम्बर 2271/2331 रकबा 2.9100 हेक्टर, में से 0.7027 हेक्टर अर्थात 7027.00 वर्ग मी. भूमि के खातेदार श्री रामकरण, रामकिशन, दिवानारायण पुरान श्री भूमि उर्फ भूलचन्द द्वारा जयपुर प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति राश पत्र जंगल कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी संघिनतजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पण भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्वामन/वाद विवाद/स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया जान-14 कार्यालय में 07 दिवस में मध्य समुचित संबंधित दस्तावेजों आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।

सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण,
 जयपुर।

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त सांख्यिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
2. रजिस्ट्रार पत्रावली।

उपायुक्त जान-14,

~~जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।~~
 जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक - जविप्रा/उपा./जोन-11/2023/डी-2600

दिनांक 14/9/23

सार्वजनिक नोटिस

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 60 मीटर चौड़ी सड़क रीक्टर रोड में आ रही भूमि राजरव ग्राम ग्राम रेनवाल तहसील माधोराजपुरा के खसरा नम्बर 435 रकबा 0.4046 हैक्ट. में से रकबा 0.2781 हैक्ट. ख.न. 435 रकबा 0.2150 हैक्ट. ख.न. 437 रकबा 0.3667 हैक्ट. कुल कित्ता 3 कुल रकबा 0.8598 हैक्ट. के खालेदार श्री कानाराम पुत्र श्री देवाराम, श्री जगदीश पुत्र श्री देवाराम, श्री रामधन पुत्र श्री देवाराम, श्री हनुमान पुत्र श्री देवाराम, सुप्यार पुत्री श्री देवाराम, प्रेमदेवी पुत्री श्री देवाराम, श्री नाथूलाल पुत्र श्री कल्याण, श्री रामकिशोर पुत्र श्री कल्याण निवासी- ग्राम रेनवाल, तहसील माधोराजपुरा द्वारा जयपुर प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवदन, समर्पणनामा व शक्तिपूर्ति तंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन/वाद विवाद/स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया उपर्युक्त जोन-11 के कार्यालय में 07 दिवस में यह सूचित संबंधित तस्मावेजात आवृत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयकाल के पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।

26/9
राधिव
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

सब-12, गानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दिनांक 11.09.23
 यू.ओ. नोट क्रमांक/ ज.वि.भा./ ज.म./ ज.न.-पी.आर.ए.न.(दक्षिण-हिंदीय)/2023/डी-1919
 ज.वि.भा. जयपुर।
 जनसम्पर्क अधिकारी,

जान-प्रधारण (दक्षिण-हिंदीय)
 जयपुर, जयपुर।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवेदकी का नाम	संख्या	मूलक संख्या	ग.नि.स.स./ निजी/ जातेवासी/ योजना/ ज.वि.भा. योजना	योजना का नाम	योजना का विवरण	योजना का नाम	योजना का विवरण
2	लक्ष्मी देवी	रही प्रकाश शीमा	B II	968.05	ग.नि.स.स.लि. बस्ती सीतागमुखा-बी	सुन्दर नगर	सीजोडि आवेदन पत्र, रसीद, अर्जागत ईकरनामा, साइट प्लान इत्यादि।	सीजोडि	आवेदन पत्र, रसीद, अर्जागत ईकरनामा, साइट प्लान इत्यादि।
1	लक्ष्मी देवी	देव प्रकाश शीमा	04	985.00	ग.नि.स.स.लि. बस्ती सीतागमुखा-बी	सुन्दर नगर	सीजोडि आवेदन पत्र, रसीद, अर्जागत ईकरनामा, साइट प्लान इत्यादि।	सीजोडि	आवेदन पत्र, रसीद, अर्जागत ईकरनामा, साइट प्लान इत्यादि।
	काम	मूल आवेदकी का नाम	संख्या	मूलक संख्या	ग.नि.स.स./ निजी/ जातेवासी/ योजना/ ज.वि.भा. योजना	योजना का नाम	योजना का विवरण	योजना का नाम	योजना का विवरण

-संलग्न:-



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

पृथ्वीराज नगर(उत्तर), कायालय, चिक्कट स्टडियम, वैशाली नगर।

क्रमांक:-जविमा/चपा./पीआरएन-उत्तर(प्रथम)/2023/डी-

872

दिनांक:- 12/9/23

:- आम सूचना :-

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवेदी का नाम	मूखण्ड संख्या	संख्या	मूखण्ड क्षेत्रफल (व.ग.)	योजना का नाम	सेवा, जिसके तहत आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती सन्तोष देवी पत्नी श्री सुरेश	श्रीमती सीता देवी यादव	पत्नी श्री तारा प्रकाश यादव			विकास	अपकीर्ण इकरानामा एवं श्रृंखलाबद्ध दस्तावेजों के आधार पर।	सासापटी द्वारा मूल आवेदन पत्र, सासापटी इकरानामा एवं श्रृंखलाबद्ध दस्तावेजों के आधार पर।
2	श्री राम सिंह जिसानिया पुत्र श्री नारायण लाल	श्री राम सिंह जिसानिया पुत्र	श्री नारायण लाल जिसानिया			महाराणा	श्री कर्णी विहार	सासापटी द्वारा मूल आवेदन पत्र के आधार पर।

उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-1
जयपुर, जयपुर।

- 5 -

प्रतिनिधि :- जनसम्पर्क अधिकारी जविमा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है की राज्य सरकार के आदेशों के क्रम में विज्ञापित को संकाशन कराया जाना सुनिश्चित करे।

~~उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-1
जयपुर, जयपुर।
सासापटी इकरानामा एवं श्रृंखलाबद्ध दस्तावेजों के आधार पर।~~




क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2023/डी- 1789

दिनांक 14/9/23

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/ अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी योजना/	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री रचित रावत पुत्र श्री बाबेलाल गुप्ता	श्री बाबूलाल गुप्ता पुत्र श्री गोकुल चन्द गुप्ता	214	511.00 व.ग.	तोपखानादेश	नेमी नगर विस्तार	लीजडीड	सहकारी समिति आवंटन, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं पंजीकृत हक त्याग पत्र


उपायुक्त, जोन- 7
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त, जोन- 7
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

जयपुर, राजा / जिन 12, 2023

8767


12-05-2023

अपम सूचना

जयपुर शहर के समूह प्रतियोगिता 2023 के तहत जिन 12 में "जिन आवेदक द्वारा नाम दर्ताकरण" / "फ्री होल्ड लीज-डीड से" आवेदन किया गया है जिनका विवरण निम्नानुसार है

आवेदक का नाम	मूल आवटी का नाम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	मू.नि.स.स / निजी खातेदारी/ जविप्रा का नाम	गोजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
श्री. जयपाल कुमार	रेल्व टडन पुरी	258	500.00	जविप्रा	आनन्द लोक द्वितीय	लीज-डीड से फ्री होल्ड लीज-डीड	मृत्यु प्रमाण पत्र, नोटरी पब्लिक से प्रमाणित वसीयतनामा, गवाही का शपथ पत्र।
श्री. राजेश कुमार	श्री. गोला नाथ टडन						मृत्यु प्रमाण पत्र, नोटरी पब्लिक से प्रमाणित वसीयतनामा, गवाही का शपथ पत्र।

उपरोक्त द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र, नोटरी पब्लिक से प्रमाणित वसीयतनामा, गवाही का शपथ पत्र इत्यादि दस्तावेजों को जांच कर किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जिन 12 कार्यालय में दर्ज कराये, अन्यथा जिन 12 कार्यालय द्वारा भूखण्ड की नाम दर्ताकरण/लीज-डीड/लीज-डीड से फ्री होल्ड लीज-डीड जारी की कार्यवाही आवेदक के नाम से कर दी जावेगी।


उपायुक्त जिन-12
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि

D-1862 दि. 29.8.23

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

29

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102858

दिनांक


लोक सूचना

श्री MAHENDRA KUMAR AGARWAL पुत्र श्री INDER LAL AGARWAL जाति MAHAJAN निवासी 16 BHAGAT SINGH MARG, TILAK NAGAR, JANTA COLONY, JAIPUR-302004 ने इस कार्यालय में उल्लेखित भूमि का आवासीय/ फार्म हाउस प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिवृत्ति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (व.मी.)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	सुशीलपुरा, जयपुर (जयपुर)	MAHENDRA KUMAR AGARWAL	326/325	2571	0.2571
					कुल 0.2571

इसलिये, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 क और राजस्थान अभिवृत्ति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिवृत्ति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिनों के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (DDH)आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 29-8-23 को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी, जॉन-05
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102894

दिनांक: 14/09/2023


लोक सूचना

श्री M/S JAIPUR CERAMICS PRIVATE LIMITED DIRECTOR UDAI PARNAMI पुत्र श्री ASHOK PARNAMI जाति PANJABI निवासी S-16A, LAND MARK BUILDING MAHAVEER MARG C-SCHEME JAIPUR

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का इंफ्रास्ट्रक्चर, व वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम बहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	मोटू का बास, आमेर (जयपुर)	JAIPUR CERAMICS PRIVATE LIMITED	445	1700	0.17
2.	मोटू का बास, आमेर (जयपुर)	JAIPUR CERAMICS PRIVATE LIMITED	478	3900	0.39
3.	मोटू का बास, आमेर (जयपुर)	JAIPUR CERAMICS PRIVATE LIMITED	479	4100	0.41
4.	मोटू का बास, आमेर (जयपुर)	JAIPUR CERAMICS PRIVATE LIMITED	936/477	4100	0.41
5.	मोटू का बास, आमेर (जयपुर)	JAIPUR CERAMICS PRIVATE LIMITED	941/491	2100	0.21
6.	मोटू का बास, आमेर (जयपुर)	JAIPUR CERAMICS PRIVATE LIMITED	944/492	50	0.005
7.	मोटू का बास, आमेर (जयपुर)	JAIPUR CERAMICS PRIVATE LIMITED	947/446	2600	0.26
8.	मोटू का बास, आमेर (जयपुर)	JAIPUR CERAMICS PRIVATE LIMITED	949/449	9200	0.92
9.	मोटू का बास, आमेर (जयपुर)	JAIPUR CERAMICS PRIVATE LIMITED	444	900	0.09
				कुल	2.865


इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के




निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **14-09-2023** को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: ()जविप्रा/जोन-11/सैक्टर रोड़/2023/डी-2603

दिनांक: 14/09/23

सार्वजनिक नोटिस

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 60 मीटर चौड़ी सड़क सैक्टर रोड़ में आ रही भूमि राजस्व ग्राम पंचालिया, पटवार हल्का पंचालिया, भू.अभि.नि. क्षेत्र मुहाना, तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 717 रकबा 0.8300 हैक्ट. कुल किता 1 कुल रकबा 0.8300 हैक्ट. भूमि के बदले खातेदार श्री सुरेश पुत्र स्व. श्री किशनलाल, निवासी-कुमावतों की ढाणी, ग्राम कपूरावाला, सांगानेर, जयपुर एवं श्रीमती मांगी देवी पत्नी श्री किशनलाल निवासी-ग्राम पंचालिया, तहसील सांगानेर, जयपुर (राज.) द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायाधिक प्रकरण/स्थगन/वाद-विवाद/स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया उपायुक्त जोन-11 के कार्यालय में 7 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात् आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहे।

सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in


क्रमांक- जविप्रा/जोन-14/2023/डी-2297

दिनांक 14/9/23

सार्वजनिक नोटिस

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 200 फीट चौड़ी (डिग्गी रोड से रोहिणी नगर होते हुये टोंक रोड को जोड़ने वाली) सेक्टर सडक व व्यावसायिक पट्टी में आ रही भूमि ग्राम रेनवाल तहसील माधोराजपुरा के ख.न. 3120/2 रकबा 1.0116 हैक्ट. में से 3883.67 व.मी. में खातेदार कैलाश, चिरंजीलाल, रामकुमार पुत्रान् नानूराम उर्फ नानूडा एवं नाथूराम, बाबूलाल, रामदयाल, रामफूल उर्फ फुलाराम पुत्रान् रामचन्द्र द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।


सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन/वाद विवाद/स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया जोन 14 कार्यालय में 7 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात् आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।


सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपि:-

1. जन सम्पर्क (अधिकारी) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
2. रक्षित पत्रावली


सहायक सचिव (जोन-14) अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/1C2879

दिनांक: 11/09/2023

लोक सूचना

श्री SUMEET SINGH पुत्र श्री HARMEET SINGH जाति RAMDASIYA निकासी B-3/9 SAFDARGANJ ENCLAVE, SOUTH WEST DELHI, DELHI

ने इस कार्यालय में भीड़े उल्लिखित भूमि का पर्यटन इकाई प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हिक्टे.)
1.	अचरोल, आमेर (जयपुर)	SUMEET SINGH S/O HARMEET SINGH	6515	12700	1.27
कुल					1.27

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पट्टागत प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आइडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH), आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 11/09/2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक-जविप्रा/उपा./जोन-14/2022/डी-2296

दिनांक 14/09/2023

सार्वजनिक नोटिस

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 100 फीट चौड़ी जोनल प्लान सड़क में आ रही भूमि राजस्थान ग्राम रामसिंहपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 2271/2331 रकबा 2.9100 हेक्टर में से 0.7027 हेक्टर अर्थात् 7027.00 वर्ग मी. भूमि के खातेदार श्री रामकरण, रामकिशन, शिवनारायण पुत्रान श्री मूल्या उर्फ मूलचन्द द्वारा जयपुर प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन/वाद विवाद/स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया जोन-14 कार्यालय में 07 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात् आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।

सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
2. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त जोन-14,

जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

राम किशोर व्यास गवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दुरागम : Direct Line-0141-2576296(O), EPBX-0141-2569696, Ext.: 8380, Fax-0141-2574555, e-mail:

dc.zone14.jda@rajasthan.gov.in



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक - जविप्रा/उपा./जोन-11/2023/डी-2600

दिनांक 14/9/23

सार्वजनिक नोटिस

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 60 मीटर चौड़ी सड़क सीक्टर रोड में आ रही भूमि राजरव ग्राम ग्राम रेनवाल तहसील माधोराजपुरा के खसरा नम्बर 435 रकबा 0.4046 हैक्ट. में से रकबा 0.2781 हैक्ट. ख.न. 436 रकबा 0.2150 हैक्ट. ख.न. 437 रकबा 0.3667 हैक्ट. कुल कित्ता 3 कुल रकबा 0.8598 हैक्ट. के खसदार श्री कानाराम पुत्र श्री देवाराम, श्री जगदीश पुत्र श्री देवाराम, श्री रामधन पुत्र श्री देवाराम, श्री हनुमान पुत्र श्री देवाराम, सुप्यार पुत्री श्री देवाराम, प्रेमदेवी पुत्री श्री देवाराम, श्री नाथूलाल पुत्र श्री कल्याण, श्री रामकिशोर पुत्र श्री कल्याण निवासी- ग्राम रेनवाल, तहसील माधोराजपुरा द्वारा जयपुर प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवदन, समर्पणनामा व शक्तिपूर्ति रंध पत्र जोग कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन/वाद विवाद/स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया उपायुक्त जोन-11 के कार्यालय में 07 दिवस में मंगल सुनिश्चित संबंधित दस्तावेजात आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयकाल के पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।

ast
सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in



—:सूचना:—

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	मुखण्ड संख्या	मुखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी योजना / जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	तरुण जैन	देव प्रकाश मीणा	04	985.00	बरसी सीतारामपुरा-बी गृ.नि.स.स.लि.	सुन्दर नगर	लीजडीड	अपंजीकृत ईकरारनामा, आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
2	तरुण जैन	हरी प्रकाश मीणा	B 1	968.05	बरसी सीतारामपुरा-बी गृ.नि.स.स.लि.	सुन्दर नगर	लीजडीड	अपंजीकृत ईकरारनामा, आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।

[Handwritten Signature]

उपायुक्त

जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

✓ जनसम्पर्क अधिकारी,

जविप्रा, जयपुर।

यू.ओ. नोट क्रमांक/ज.वि.प्रा./उपा./जोन-पी.आर.एन.(दक्षिण-द्वितीय)/2023/डी-1919

दिनांक 11.09.23

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एकसटेशन: {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

N.P.-V.N.

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

पृथ्वीराज नगर(उत्तर), कार्यालय, चित्रकूट स्टेडियम, वैशाली नगर।

क्रमांक:-जविप्रा/उपा./पीआरएन-उत्तर(प्रथम)/2023/डी-

872

दिनांक:- 12/9/23

-: आम सूचना :-

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (व.ग.)	गृ.नि.स.स.	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती सन्तोष देवी पत्नी श्री सुरेन्द्र	श्रीमती सीता देवी यादव पत्नी श्री तारा प्रकाश यादव	67	179.8	बुनियादी विकास	शयोनाथपुरी	फी-होल्ड पट्टे हेतु	सोसायटी द्वारा जारी मूल आवंटन पत्र, अपंजीकृत इकरारनामा एवं श्रृंखलाबद्ध दस्तावेजों के आधार पर।
2	श्री राम सिंह डिसानिया पुत्र श्री नाथू लाल डिसानिया	श्री राम सिंह डिसानिया पुत्र श्री नाथू लाल डिसानिया	4-ए	88.8	महाराणा प्रताप	श्री करणी विहार - बी	फी-होल्ड पट्टे हेतु	सोसायटी द्वारा जारी मूल आवंटन पत्र के आधार पर।

उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-1
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि :- जनसम्पर्क अधिकारी जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है की राज्य सरकार के आदेशों के क्रम में विज्ञप्ति का प्रकाशन करवाया जाना सुनिश्चित करें।

उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-1
उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
जविप्रा, जयपुर
पीआरएन-उत्तर (प्रथम)
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

पृथ्वीराज नगर(उत्तर), कार्यालय, चित्रकूट स्टेडियम, वैशाली नगर।

क्रमांक:-जविप्रा/उपा./पीआरएन-उत्तर(प्रथम)/2023/डी-

874

दिनांक:- 12/9/23

-: आम सूचना :-

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (व.ग.)	ग.नि.स.स.	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती कैलाशी देवी पत्नी श्री ओम प्रकाश मीणा	श्रीमती कैलाशी देवी पत्नी श्री ओम प्रकाश मीणा	168	183	रामराजपुरा	जनक विहार	फ्री-होल्ड पट्टे हेतु	सोसायटी द्वारा जारी मूल आवंटन पत्र के आधार पर।

-54-
उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-1
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि :- जनसम्पर्क अधिकारी जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है की राज्य सरकार के आदेशो के क्रम मे विज्ञप्ति का प्रकाशन करवाया जाना सुनिश्चित करें।

उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-1
जविप्रा, जयपुर।
जयपुर विकास प्राधिकरण



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in


क्रमांक:जविप्रा/उपा/जोन-11/2023/डी-2581

दिनांक 13/9/23


आम सूचना

निम्न आवेदक द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी योजना / जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री अनूप सिंह	श्रीमती सुमित्रा सिंह पत्नी श्री अनूप सिंह	49	115.55 वर्गगज	निजी खातेदारी योजना	श्री कृष्ण वाटिका	लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टे हेतु	मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र के आधार पर


उपायुक्त जोन-11
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति प्रकाशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।


उपायुक्त जोन-11
जविप्रा, जयपुर।